

बिहार सरकार,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
पंत भवन, द्वितीय तल, पटना-1

प्रेषक,

सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

अपर सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक/2020

विषय:- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अन्तर्गत लेखा-सह-रोकड़पाल के 02 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु Walk-in Interview के आयोजन संबंधी विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा "लेखा-सह-रोकड़पाल" के 02 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु Walk-in Interview के आयोजन संबंधी एक विज्ञापन का प्रकाशन एक प्रमुख हिन्दी दैनिक एवं एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में कराया जाना है। एतदसंबंधी विज्ञापन के प्रारूप की हार्ड कॉपी 05 प्रतियों में तथा सॉफ्ट कॉपी एक प्रति के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि राज्य से प्रकाशित होने वाले एक प्रमुख हिन्दी दैनिक एवं एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्रों में शीघ्रातिशीघ्र इसे प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(श्याम बिहारी मीणा)
सचिव

ज्ञापांक - 1584 /प्राधि0

पटना, दिनांक- 20.7.2020

प्रतिलिपि- श्रीमती सुम्बुल अफरोज, वरीय तकनीकी सहायक, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को नियोजन विज्ञापन की प्रति/सूचना एवं शर्तों तथा आवेदन प्रपत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे प्राधिकरण के वेबसाईट www.bsdma.org पर सर्वसाधारण की सूचना हेतु अपलोड करेंगे।

अनु0-यथोक्त।

20/07/20
सचिव

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
 (आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना में लेखा-सह-रोकड़पाल के 02 रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा आधारित नियोजन हेतु वॉक-इन-इन्टरभ्यू के आयोजन की सूचना :-

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा "लेखा-सह-रोकड़पाल" के 02 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012" में निहित प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए दिनांक 18.08.2020 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से एक "वॉक-इन-इन्टरभ्यू" का आयोजन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना में किया गया है। इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं परिलब्धियाँ निम्नवत् होंगी :-

क्र०	पद का नाम	पद की संख्या	आरक्षण रोस्टर	शैक्षणिक योग्यता / अनुभव	उम्रसीमा	परिलब्धियाँ
1	लेखा-सह-रोकड़पाल	02	सामान्य- 01 पिछड़ा वर्ग-01	बिहार सचिवालय सेवा या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मी / पदाधिकारी अथवा महालेखाकार कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मी / पदाधिकारी, जिन्हें लेखा कार्यो का पर्याप्त अनुभव हो। वाणिज्य स्नातक कर्मी को अधिमानता दी जायेगी।	64 वर्ष (अधिकतम)	सरकारी प्रावधानानुसार

- अभ्यर्थी अपने साथ विहित प्रपत्र में हस्तलिखित अथवा टंकित आवेदन पत्र के साथ-साथ दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, सेवा से संबंधित अभिलेख, पी0पी0ओ0, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियों का एक सेट साथ में लायेंगे। साथ ही इनकी मूल प्रतियाँ भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियोजन से संबंधित विस्तृत सूचना/शर्तें एवं आवेदन प्रपत्र प्राधिकरण के वेबसाईट www.bsdma.org पर अवलोकन/डाउनलोड की जा सकती है।
- आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय होगा।

21/08/20
 (श्याम बिहारी मीणा)
 सचिव

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001

लेखा-सह-रोकड़पाल के पद पर सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा आधारित नियोजन की सूचना / शर्तें :-

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्तर्गत "लेखा-सह-रोकड़पाल" 02 रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012" में निहित प्रावधानों के तहत यह नियोजन किया जा रहा है।

1. उक्त पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में अधिमानतः तीन वर्षों अथवा अगले आदेश तक अथवा नियमित प्रतिनियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जायेगा। "वॉक-इन-इन्टरभ्यू" में 64 वर्ष की उम्र सीमा तक के सेवानिवृत्त कर्मी सम्मिलित हो सकेंगे। नियमों के आलोक में संविदा अवधि का विस्तार भी किया जा सकेगा।

2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। नियोजन अवधि का विस्तार नहीं होने की स्थिति में नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक 10.7.2015 के आलोक में पे माइनस पेंशन के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

6. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि

(क) उनके विरुद्ध निगरानी का कोई मामला नहीं चल रहा है।

(ख) उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ग) कभी किसी मामले में दंडित नहीं है।

(घ) उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

7. नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।

9. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3815, दिनांक-11.03.2016 में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

10. संविदा पर नियोजित किये जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मी की कुल संख्या/कोटिवार संख्या में परिवर्तन (कम/अधिक) करने की शक्ति प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगी।

11. मानेदय:-नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय प्रावधानानुसार उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही होगी, जो कि उनके संविदा अवधि तक स्थिर रहेगी।

12. लेखा/नजारत/विपत्र एवं कोषागार कार्यों का कम से कम पाँच वर्षों अनुभव वाले आवेदकों एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकों को अधिमानता दी जा सकेगी।

13. इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी प्राधिकरण के द्वारा बेवसाइट पर अपलोड आवेदन पत्र में अपना पूर्ण विवरण हस्तलिखित/टंकित रूप में भर कर आवश्यक अभिलेखों एवं फोटोग्राफ के साथ "वॉक-इन-इनटरभ्यू" के समय उपस्थापित होंगे। आवेदन प्रपत्र सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001 को संबोधित किया जायेगा।

17.7.20

(श्याम बिहारी मीणा)

सचिव

संविदा आधारित लेखापाल-सह-रोकड़पाल के पद पर नियोजन हेतु
आवेदन पत्र का प्रपत्र।

अद्यतन
स्व-अभिप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकायें।

1	सेवानिवृत्त कर्मी/पदाधिकारी का नाम, पदनाम (मोबाईल नं० सहित)	
2	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम:-	
3	जन्म तिथि:-	
4	पत्राचार का पता:-	
5	स्थायी पता:-	
6	शैक्षणिक योग्यता:-	
7	सेवा में नियुक्ति की तिथि:-	
8	सेवानिवृत्ति की तिथि:-	
9	विभाग/संस्थान का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ है:-	
10	विभिन्न विभागों में अलग-अलग कार्य अवधि का विवरण:-	
11	अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद/ निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं ?	
12	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है, यदि हाँ, तो आरक्षण कोटि	

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि:-.....

स्थान:-.....